

13/3/20 पत्रावली पेशी वादीगण वकील उपर।
प्रतिवादीगण के समान पेशी नहीं किये।
वादीगण वकील को प्रतिवादीगण के समान
पेशी करने के पर्याप्त अवसर दिये गये। आदेशिका
दिनांक 08/01/19 को अवसर दिया गया, उसके
बाद पर्याप्त अवसर दिये गये। परन्तु वादीगण
वकील द्वारा प्रतिवादीगण के समान पेशी नहीं
किये। स्पष्ट होता है कि वादीगण वकील अपने
पक्ष के प्रति जम्हिर नहीं हैं, जब: वादीगण का
वाद अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली
के माध्यम से सुनार होना वास्तविक पक्षों को संतुष्ट से नहीं
होती।

13/3/20
महायुक्त कलेक्टर
चौहट

